सुकरा महतो

वी.

बसदेव कुमार महतो और एक अन्य

2 अप्रैल, 1971

[सी.ए. वायडलिंगम और ए.एन.रे, जेजे.]

भारतीय दंड संहिता, धारा 499 नौवां अपवाद - मानहानि का आरोप - नौवें अपवाद की परिधि में आने के लिए अभियुक्त को यह साबित करना होगा कि उसने सद्भावना में या अपने स्वयं के हित या किसी और के हित में कथन - सद्भावना के तत्व।

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत प्रत्यर्थियों और अपीलार्थी के बीच बिहार में कुछ कृषि भूमि के संबंध में एक कारवाही थी। यह भूमि दो भाइयों कर्मा अहीर और फैजू अहीर के नाम पर दर्ज थी। अपीलार्थी पूर्ववर्ती का पोता था। प्रथम प्रत्यर्थी और उसके भाई ने फैजू अहीर की दूसरी पत्नी के पुत्र के रूप में भूमि पर दावा किया। दोनों पक्षों को कारण हेतुक दर्शाने के लिए बुलाया गया था। अपीलार्थी ने कारण बताते हुए पहले प्रतिवादी और उसके भाई को फैजू अहीर के अवैध पुत्रों के रूप में वर्णित किया जो एक रखैल से पैदा हुए थे। अपीलार्थी के खिलाफ उपरोक्त मानहानिकारक बयान के लिए एक शिकायत दर्ज की गई थी। अपीलार्थी ने दोषी नहीं होने का अनुरोध किया। विचारण मजिस्ट्रेट ने माना कि प्रश्नगत बयान गलत और मानहानिकारक था एंड भारतीय दंड संहिता की धारा 500 के तहत अपीलार्थी को दोषी ठहराया। अतिरिक्त न्यायिक आयुक्त ने दोषसिद्धि को बरकरार रखा। पटना उच्च न्यायालय ने पुनरीक्षण में अपीलार्थियों के अवदाह को ख़ारिज कर दिया। विशेष अनुमति द्वारा अपील में पटना उच्च न्यायालय में विचार के लिए प्रश्न था कि क्या

अपीलार्थी भारतीय दंड संहिता की धारा 499 के नौवें अपवाद के लाभ का दावा कर सकता है।

अभिनिर्धारित किया: नौवें अपवाद की सामग्री सबसे पहले यह है कि सद्भावना पूर्वक लगाया गया लांछन होना चाहिए, दूसरी बात यह कि आरोप इसे बनाने वाले व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति या जनता की संरक्षा के लिए होना चाहिए। ये सभी तथ्य के प्रश्न हैं। [332 डी]

सद्भावना का आरोप लगाने वाले व्यक्ति को एक तथ्य को स्थापित करना होगा कि वह आरोप लगाने से पहले उसने जाँच की और उसे यह इंगित करने के लिए कारण और तथ्य देने होंगे कि उसने उचित देखभाल और ध्यान के साथ काम किया था और संतुष्ट था कि आरोप सही था। बयान की सत्यता का प्रमाण 499 के प्रथम अपवाद के रूप में यह नौवें अपवाद का एक तत्व नहीं है। नौवें अपवाद में आरोप लगाने वाले व्यक्ति को यह प्रमाणित कार्य होगा कि उसकी जांच में उचित सावधानी और ध्यान दिया गया था और इस प्रकार वह संतुष्ट था कि आरोप सही था। उच्चारण पर है लहजा पूछताछ, देखभाल और उद्देश्य पर है और व्यक्तिपरक संतुष्टि नहीं। [332 एफ-जी]

हरभजन सिंह बनाम पंजाब राज्य, [1965] 3 एस.सी.आर. 235 और चमन लाल बनाम पंजाब राज्य, ए.आई.आर. 1970 एस.सी. 1372, निर्भरता।

वर्तमान मामले में यह दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं था कि लांछन लगाने से पहले अपीलार्थी ने सद्भावना से कोई भी जांच की। अपीलार्थी ने लांछन लगाने से पहले उचित देखभाल और ध्यान नहीं दिखाया था। इस तथ्य के निष्कर्ष के कारण कि अपीलार्थी ने सावधानी और सजगता से कार्य नहीं किया और दूसरा कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी से संबंधित था और तीसरा कि अपीलार्थी द्वारा कोई जांच नहीं की गई थी, अपीलार्थी सदभावना का दावा नहीं कर सकता। [333 सी]

सिर्फ इसलिए कि कोई कार्यवाही लंबित है, यह किसी व्यक्ति के लिए खुला नहीं होगा कि वर्तमान मामले की प्रकृति के बयानों को लांछित करे। वहाँ कोई शीर्षक का प्रश्न शामिल नहीं था। यहां तक कि अगर शीर्षक शामिल है, तो यह अपने आप में किसी व्यक्ति को मानहानिकारक बयान देने और फिर यह दलील देने का अधिकार नहीं देगा कि यह हितों की सुरक्षा के लिए था। आरोप लगाने वाले व्यक्ति के हितों की सुरक्षा को यह दिखाकर स्थापित करना होगा कि आरोप लगाने वाले व्यक्ति के हितों की सुरक्षा स्वयं थी। मौजूदा मामले में सवाल यह था कि जमीन पर किसका कब्जा था। किसी व्यक्ति के लिए आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत अपमानजनक अपशब्दों का प्रयोग करके कब्जे से इनकार करना या उसका विरोध करना और फिर हितों की सुरक्षा के लाभ का दावा करना खुला नहीं होगा। [333 जी]

अपील तदनुसार विफल होनी चाहिए।

आपराधिक अपील क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील सं. 53/1968।

(आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 1734/1967 में पटना उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 30 अक्टूबर, 1967 से विशेष अनुमति द्वारा अपील।)

गणपत राय, अपीलार्थी के ओर से।

डी. गोबर्धन और राम दास चड्ढा, प्रत्यर्थी संख्या 1 की ओर से।

डी. गोबर्धन, प्रत्यर्थी संख्या 2 की ओर से।

न्यायालय का निर्णय **रे**, **न्यायाधिपति**. द्वारा सुनाया गया।

यह पटना उच्च न्यायालय के दिनांक 30.10.1967 के फैसले और आदेश के खिलाफ विशेष अनुमति द्वारा एक अपील है, जिसमें प्रथम अतिरिक्त न्यायिक आयुक्त, रांची के दिनांक 31.07.1967 के फैसले के खिलाफ आपराधिक पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार में एक आवेदन को खारिज कर दिया गया था, जिसमें न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी,

रांची द्वारा दोषसिद्धि और सजा को बरकरार रखा गया था। अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 500 के तहत दोषी ठहराया गया था और 500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई और व्यतिक्रम होने पर तीन महीने के लिए साधारण कारावास की सजा दी गई।

प्रत्यर्थियों और अपीलार्थी के मध्य रांची जिले के हात्मा गाँव में कुछ भूमि के संबंध में दंड संहिता की धारा 144 के तहत कार्यवाही की गई थी। भूमि दो भाइयों कर्मा अहीर और फैजू अहीर के नाम पर दर्ज की गई थी। अपीलार्थी कर्मा अहीर का पोता है। फैजू अहीर की पहली पत्नी से उनके दो बेटे थे। उन दोनों की मृत्यु उनके जीवनकाल के दौरान हुई थी। प्रत्यर्थी और उसके भाई सहदेव महतो ने फैजू अहिर के उसकी दूसरी पत्नी के पुत्र के रूप में भूमि पर दावा किया। इससे दोनों पक्षों के बीच विवाद हो गया। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत कार्यवाही की गई। दोनों पक्षों को कारण दर्शाने के लिए बुलाया गया था। अपीलार्थी ने कारण बताते हुए बसदेव महतो और उनके भाई सहदेव महतो को फैजू अहीर के अवैध पुत्रों के रूप में वर्णित किया, जो रखैल से पैदा हुए थे।

अभियोजन पक्ष का मामला यह था कि शिकायतकर्ता का बहनोई नवंबर, 1965 के महीने में उप-खंड अधिकारी के न्यायालय में उपस्थित था, जब अपीलकर्ता के अधिवक्ता ने उप-खंड अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया कि प्रतिवादी और उसका भाई विजू अहीर उसकी रखैल से जन्मे नाजायज बेटे थे। शिकायतकर्ता ने तब अपीलार्थी द्वारा पेश किया गए लिखित बयान की एक प्रमाणित प्रति प्राप्त की। इसके बाद शिकायतकर्ता ने शिकायत दर्ज कराई। शिकायतकर्ता का मामला था कि फैजू अहीर ने सुश्री सौनी, जो एक विधवा थी, 40 साल से अधिक समय पहले यादव समुदाय के बीच प्रचलित प्रथा के अनुसार से शादी की थी। वह फैजू अहीर के साथ उनकी विवाहित पत्नी के रूप में रह रही थी और समुदाय द्वारा उनके साथ ऐसा ही व्यवहार किया जाता था। अपीलार्थी और उसके भाई का जन्म शादी के लंबे समय बाद हुआ था और वे फैजू अहीर के वैध पुत्र

थे। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि अपीलार्थी ने अपीलार्थी और उसके भाई को अपमानित करने और बदनाम करने के उद्देश्य से बयान दिए।

अपीलकर्ता ने दोषी नहीं होने का अनुरोध किया। उनका बचाव यह था कि लिखित बयानों में दी गई बातें सच थीं। अपीलकर्ता ने आगे कहा कि उन्हें इस तथ्य का खुलासा करना पड़ा क्योंकि प्रत्यर्थी और उसके भाई ने बेईमानी से उस संपत्ति पर दावा किया जिस पर उनका कोई अधिकार नहीं था।

तथ्य के निष्कर्ष ये हैं. फैजू अहीर ने सौनी से सगाई रूप में शादी की। प्रत्यर्थी फैजू अहीर का वैध पुत्र था। इन निष्कर्षों पर मजिस्ट्रेट ने माना कि लिखित बयान में दिए गए बयान झूठे और मानहानिकारक थे। अपीलकर्ता को भारतीय दंड संहिता की धारा 500 के तहत दोषी ठहराया गया था।

छोटा नागपुर, रांची के प्रथम अतिरिक्त न्यायिक आयुक्त ने अपीलार्थी द्वारा दायर अपील पर सुनवाई की और दोषसिद्धि को बरकरार रखा और सजा की पुष्टि की। अतिरिक्त न्यायिक आयुक्त ने अभिनिर्धारित किया कि अपीलार्थी ने यह दिखाने के लिए कोई मौखिक साक्ष्य नहीं दिया कि उसने सद्भावना से काम किया। अपीलार्थी ने जी.आर. 775/65 मामले में प्रत्यर्थी के बयान की एक प्रमाणित प्रति पर भरोसा किया। जहाँ प्रत्यर्थी से उस मामले में एक सवाल पूछा गया कि क्या फैजू अहीर ने एक रखैल रखी थी और क्या वह उस रखैल का बेटा था। प्रत्यर्थी ने जवाब दिया कि उसे नहीं पता कि फैजू अहीर एक रखैल रखता है और वह रखैल का बेटा है। प्रतिवादी के इस साक्ष्य पर मामले सं. जी.आर. 775/65 न्यायिक आयुक्त के समक्ष अपीलार्थी की ओर से यह तर्क दिया गया कि प्रत्यर्थी ने इस सुझाव से इनकार नहीं किया कि फैज़ु अहीर ने एक रखैल रखी थी और वह रखैल का बेटा था, और इसलिए, अपील पक्ष ने द्वेष से काम नहीं किया। न्यायिक आयुक्त ने माना कि उस मामले में प्रत्यर्थी का पूरा साक्ष्य यह था

कि पूरन और जीतू उसके सौतेले भाई थे और जवाब यह दिखाने के लिए पर्याप्त थे कि इस सुझाव का खंडन किया गया था कि वह रखैल का बेटा था। प्रत्यर्थी को जो उत्तर नहीं पता था उसका मतलब यह नहीं होगा कि उसने सुझाव स्वीकार कर लिया या अस्वीकार नहीं किया।

वर्तमान मामले में प्रासंगिक प्रावधान भारतीय दंड संहिता की धारा 499 का नौवां अपवाद है। धारा 499 मानहानि से सम्बंधित है। धारा 500 मानहानि के लिए सजा निर्धारित करती है। धारा 499 के नौ अपवाद हैं। ये नौ अपवाद वे मामले हैं जिनमें कोई मानहानि नहीं होती है। नौवां अपवाद वर्तमान मामले को शामिल करता है और इस प्रकार हैः

> "किसी अन्य के शील पर लांछन लगाया मानहानि नहीं है परन्तु या तब जब कि इसे लगाने वाले व्यक्ति के या किसी अन्य व्यक्ति के हित की संरक्षा के लिए, या लोक कल्याण के लिए, वह लांछन सद्भावपूर्वक लगाया गया हो।"

नौवें अपवाद की सामग्री सबसे पहले यह है कि आरोप सद्भावना से किया जाना चाहिए; दूसरा, आरोप इसके लिए होना चाहिए इसे बनाने वाले व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति के हितों की संरक्षा ले लिए या लोक कल्याण के लिए। सद्भावना तथ्य का प्रश्न है तो इसे बनाने वाले व्यक्ति के होटों की सुरक्षा भी होती है। सार्वजनिक हित भी एक तथ्य का प्रश्न है। इस न्यायालय ने हरभजन सिंह बनाम पंजाब राज्य [(1)] [1965] 3 एस.सी.आर. 235) में भारतीय दंड संहिता की धारा 499 के नौवें अपवाद से निपटने में यह कहा कि यह पता लगाया जाना चाहिए कि क्या किसी व्यक्ति ने उचित देखभाल और सजगता के साथ काम किया है। यह न्यायालय ने कहा कि "सरल विश्वास या वास्तविक विश्वास ही पर्याप्त नहीं है। अपीलकर्ता को यह दिखाना होगा कि उसके विवादित बयान में विश्वास

का तर्कसंगत आधार था और यह केवल एक अंध सरल विश्वास नहीं था। यहीं पर उचित देखभाल और ध्यान का तत्व महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है"। सद्भावना का आरोप लगाने वाले व्यक्ति को इस तथ्य को स्थापित करना होगा उसने आरोप लगाने से पहले जांच की थी और उसे यह इंगित करने के लिए कारण और तथ्य देने होंगे कि उसने उचित देखभाल और ध्यान से काम किया और संतुष्ट था कि आरोप सही था। कथन की सच्चाई का प्रमाण 499 के पहले अपवाद के तरह नौवां अपवाद का तत्व नहीं है। नौवें अपवाद में आरोप लगाने वाले व्यक्ति को यह प्रमाणित करना होगा कि उनकी पूछताछ में उचित सावधानी और ध्यान दिया गया था और इस प्रकार वह संतुष्ट था कि आरोप सही था। गहनता पूछताछ, देखभाल और उद्देश्य पर होती है न कि व्यक्तिपरक संतुष्टि पर।

चमन लाल बनाम पंजाब राज्य[(2)](ए.आई.आर. 1970 एस.सी. 1372) में इस न्यायालय ने नौवें अपवाद में सद्भावना के बारे में कहा कि "अच्छी आस्था और सद्भावना स्थापित करने के लिए, पहले यह देखना होगा कि पत्र किन परिस्थितियों में लिखा गया था या शब्द बोले गए थे; दूसरा, क्या कोई दुर्भावना थी; तीसरा, क्या अपीलकर्ता ने ऐसा करने से पहले कोई जांच की थी; चौथा, क्या इस संस्करण को स्वीकार करने के कारण हैं कि उसने सावधानी और सजगता से काम किया और अंततः क्या इस बात की प्रबल संभावना है कि अपीलकर्ता ने अच्छे विश्वास के साथ काम किया"।

इस न्यायालय के फैसलों में निर्धारित इन परीक्षणों के आधार पर वर्तमान मामले में अधिनियम के निष्कर्ष यह हैं कि यह दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं है कि अपीलकर्ता ने आरोप लगाने से पहले अच्छे विश्वास में कोई पूछताछ की थी और अपीलकर्ता ने उचित देखभाल नहीं की थी। और आरोप लगाने से पहले ध्यान दिया था। अधिनियम के निष्कर्षों के कारण कि अपीलकर्ता ने सावधानी और सजगता से कार्य

नहीं किया और दूसरी बात यह कि अपीलकर्ता प्रत्यर्थी से संबंधित था और तीसरी बात यह कि अपीलकर्ता द्वारा कोई पूछताछ नहीं की गई थी, अपीलकर्ता सद्भावना का दावा नहीं कर सका।

नौवें अपवाद में दूसरा घटक यह है कि आरोप हितों की सुरक्षा के लिए लगाया जाना है। नौवें अपवाद में विचारित हित की सुरक्षा यह है कि संचार को उस विषय पर प्रामाणिक बनाया जाना चाहिए जिसमें संचार करने वाले व्यक्ति का हित या कर्तव्य है और जिस व्यक्ति को संचार किया गया है उसका संबंधित हित या कर्तव्य है। नौवें अपवाद का चित्रण (ए) उस विचार को दर्शाता है:

> "क एक दुकानदार है, वह ख से, जो उसके कारबार का प्रबंध करता है, कहता है "य को कुछ मत से बेचना जब तक कि वह तुम्हे नकद धन न दे दे, क्योंकि उसकी ईमानदारी के बारे में मेरी राइ अच्छी नहीं है" यदि उसने य पर यह लांछन अपने हितों की संरक्षा के लिए सद्भावपूर्वक लगाया है, तो क इस अपवाद के अंतर्गत आता है"।

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत कार्यवाही की गई। सिर्फ इसलिए कि कोई कार्यवाही लंबित है, यह किसी व्यक्ति के लिए वर्तमान मामले में प्रकृति के बयानों को आरोपित करने के लिए खुला नहीं होगा। इसमें शीर्षक का कोई सवाल ही नहीं था। यहां तक कि अगर शीर्षक शामिल है तो यह अपने आप में किसी व्यक्ति को एक अपमानजनक बयान देने का अधिकार नहीं देगा और फिर यह दलील लेगा कि यह हितों की सुरक्षा के लिए था। आरोप लगाने वाले व्यक्ति के हितों के संरक्षण को यह दर्शाकर स्थापित करना होगा कि आरोप स्वयं उस व्यक्ति के हितों का संरक्षण था जो इसे बनाता है। वर्तमान मामले में, सवाल यह था कि भूमि किसके कब्जे में थी।

आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत कार्यवाही में मानहानिकारक अपशब्दों का इस्तेमाल करके किसी व्यक्ति के लिए यह अधिकार नहीं होगा कि वह कब्जे से इनकार करे या उसका विरोध करे और फिर सुरक्षा या हितों के लाभ का दावा करे।

उच्च न्यायालय पुनरीक्षण याचिका को खारिज करने और न्यायिक आयुक्त के निर्णय और आदेश में हस्तक्षेप नहीं करने में उचित था। अपील विफल हो जाती है और खारिज की जाती है।

जी.सी.

अपील खारिज की गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' के जरिए अनुवादक की सहायता से किया गया है।

अस्वीकरण : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।